न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
नामान्तरण अपील संख्याः 14/2023
दायर दिनांकः 18.10.2023
निर्णय दिनांक 08.11.2024

—:अनवान:—

रामचन्द्र पिता कालु जी जाति कुम्हार (प्रजापति) आयु 67 वर्ष निवासी मण्डियाना, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद हाल निवासी जी 3 पार्श्वनाथ शोपिंग सेन्टर, नरोडा, अहमदाबाद, गुजरात।

—— अपीलाण्ट

बनाम

1. भैरूलाल पिता रामलाल जी, जाति कुम्हार (प्रजापति) आयु वयस्क, निवासी मण्डियाना, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद।
2. कला पुत्री रामलाल जी, जाति कुम्हार (प्रजापति), आयु वयस्क, निवासी मण्डियाना, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमद।
3. गंगा पुत्री रामलाल जी, जाति कुम्हार (प्रजापति), आयु वयस्क, निवासी मण्डियाना, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद।
4. चंदा पुत्री रामलाल जी, जाति कुम्हार (प्रजापति), आयु वयस्क, निवासी मण्डियाना, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद।
5. नारायणी पुत्री रामलाल जी जाति कुम्हार (प्रजापति), आयु वयस्क, निवासी मण्डियाना, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद।
6. मंजु पुत्री रामलाल जी, जाति कुम्हार (प्रजापति), आयु वयस्क, निवासी मण्डियाना, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद।
7. रेखा पुत्री रामलाल जी, जाति कुम्हार (प्रजापति). आयु वयस्क, निवासी मण्डियाना, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद।

—— रेस्पोंडेन्टगण

<u>अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 1114 दिनांक 29.05.20218 न्यायालय तहसीलदार नाथद्वारा, जिला राजसमन्द के गॉव मण्डियाना, पटवार हल्का मण्डियाना, तहसील नाथद्वारा के आदेश के विरूद्व अपील</u>

उपस्थित :—

1— श्री ख्यालीलाल नागदा, अधिवक्ता अपीलांट
2— श्री भूपेश जटिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7
3— श्री अनिल बागोरा, राज0अधि0, रेस्पोडेन्ट संख्या 08

न्यायालय जिला कलक्टर

—:: निर्णय ::—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि खातेदार रामलाल पिता कालु जी, जाति कुम्हार निवासी मण्डियाना की दिनांक 04.09.2017 को मृत्यु हो जाने से उनके विधिक वारिसान विरासत से नामान्तरण खुलवाने हेतु खातेदार रामलाल के नाम दर्ज कृषि भूमिया जो राजस्व गॉव मण्डियाना में स्थित है। उक्त भुमियों को विरासत से अपने नाम दर्ज कराने हेंतु पटवारी साहब को मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये जिस पर पटवारी हल्का मण्डियाना द्वारा विरासत से जरिये नामान्तरण संख्या 1114 खोला गया परन्तु खातेदार रामलाल का विरासत नहीं खोलकर अपीलार्थी रामचन्द्र का विरासत खोल दिया जबकि अपीलार्थी जीवित है तथा वर्तमान में भी जीवित होकर उक्त कृषि भूमि का उपयोग, उपभोग कर रहा है परन्तु पटवारी हल्का द्वारा उक्त नामान्तरण रामलाल की बजाय रामचन्द्र का खोलकर तहसीलदार साहब नाथद्वारा से स्वीकृत करवा दिया जिससे अपीलार्थी अपने हक अधिकारों से वंचित हो गया जिससे दुखी एवं पीड़ित होकर अपीलार्थी की और से अपील प्रस्तुत की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरण आदेश न्याय एवं विधि के विरुद्ध होकर तथ्यों से सर्वथा परे हैं। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नाथद्वारा ने कानून के विपरीत जाकर ऐसा निर्णय पारित किया तथा ऐसा निर्णय पारित करके जिससे अपीलार्थी के हक एवं अधिकारों को ही समाप्त कर दिया तथा जो अधिनस्थ न्यायालय ने नामान्तरण संख्या 1114 स्वीकृत करने से पूर्व किसी प्रकार की वैधानिक प्रकिया नहीं अपनाई तथा पटवारी हल्का मण्डियाना द्वारा नामान्तरण भरकर पेश किया उस पर गौर न कर अपने मनमाफिक तरिके से नामान्तरणकरण स्वीकृत कर लिया जबकि न्यायालय द्वारा कानुनन मृत खातेदार रामलाल एवं रामचन्द्र दोनो अलग– अलग व्यक्ति है। दस्तावेजों का सही अवलोकन नहीं कर पटवारी हल्का द्वारा रामलाल की बजाय खातेदार रामचन्द्र का विरासत खोल दिया जो कानुनन अवैध एवं शुन्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 जो खातेदार रामलाल पिता कालु जी के विधिक वारिस है तथा खातेदार रामलाल का विरासत से खुलना चाहिये था परन्तु राजस्व कर्मचारियों की भुलवश खातेदार रामचन्द का विरासत खोल दिया जबकि कानुनन मृतक रामलाल का नामान्तरण पारित होना था परन्तु खातेदार रामलाल की मृत्यु के पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय ने खातेदार रामचन्द्र का नामानारण पारित किया। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेम्टगण एक ही परिवार के व्यक्ति है तथा रेस्पोडेन्टगण अपीलार्थी के बड़े भाई रामलाल के पुत्र व पुत्रीयां है। कानुनन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 को उक्त भुमि में कोई हक व अधिकार नहीं थे फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त नामान्तरणकरण स्वीकृत कर नामान्तरणकरण पारित कर दिया जो विधि के सर्वथा विपरीत होकर अपास्त योग्य है। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्टगण के खानदान का सजरा निम्न प्रकार है –

कालु

रामलाल | मांगीलाल | लक्ष्मणलाल | रामचन्द्र

रामलाल:

भैरूलाल (पुत्र) | कला (पुत्री) | गंगा (पुत्री) | चंदा (पुत्री) | नारायणी (पुत्री) | मंजु (पुत्री) | रेखा (पुत्री) | संतोष बाई (पत्नी मृत)

न्यायालय जिला कलक्टर

अपीलार्थी रामचन्द्र एवं मृत खातेदार रामलाल दोनों सगे भाई है परन्तु राजस्व कर्मचारियों की भुलवश अपीलार्थी को राजस्व रेकर्ड में मृत बता दिया एवं अपीलार्थी का विरासत खोल दिया जबकि अपीलार्थी जीवित है तथा अपीलार्थी के बड़े भाई रामलाल का रेस्पोडेन्ट के नाम विरासत खोलना था परन्तु राजस्व कर्मचारियों की भुलवश रामलाल की बजाय रामचन्द्र का विरासत खोल दिया जबकि अपीलार्थी रामचन्द्र आज भी जीवित है इसलिये रेस्पोडेन्टगण को उक्त भुमि में कोई हक अधिकार नहीं है। इस आधार पर मृत खातेदार रामलाल के पुत्र व पुत्रीयों के नाम दर्ज कृषि भुमि जो अपीलार्थी के नाम की दर्ज करा दी है जो कानुनन शुन्य है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नाथद्वारा के आदेश दिनांक 29.05.2018 के गांव मण्डियाना के नामान्तरण संख्या 1114 को निरस्त फरमाया जावे तथा उक्त कृषि भूमि अपीलार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने की आज्ञा प्रदान कराई जायें।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेंटगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 की ओर से अधिवक्ता श्री भूपेश जटिया ने उपस्थिती दी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 08 की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि अपील की कलम संख्या 2 आंशिक रूप से स्वीकार है। अपीलार्थी का यह कहना भी सही है कि मृतक खातेदार रामलाल एवं रामचन्द्र दोनो अलग–अलग व्यक्ति है तथा हम रेस्पोडेन्टगण के पिता रामलाल जी है, परन्तु राजस्व कर्मचारी की भूलवश रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 तक के पिता रामलाल पिता कालू जी बजाय रामचन्द्र पिता कालू जी का नामान्तरण पारित हो गया, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 मृतक खातेदार रामलाल पिता कालू जी के विधिक वारीस है। अपील की कलम संख्या 3 स्वीकार है तथा सजरा भी सही होना स्वीकार है। अपील की कलम संख्या 4 स्वीकार है तथा अपीलाथी का यह कहना भी सही है कि अपीलार्थी रामचन्द्र एवं मृतक खातेदार दोनो सगे भाई है परन्तु राजस्व कर्मचारी की भूलवश अपीलार्थी रामचन्द्र को राजस्व रेकार्ड में मृत बता दिया एवं अपीलार्थी का विरासत खोल दिया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 मृतक खातेदार रामलाल के विधिक वारीसान है। शेष बिन्दु कानूनी होकर कानून पर आधारित है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार कर जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 को कोई उजर, आपत्ति नहीं है। गाँव मण्डियाना के नामान्तरण संख्या 1114 को निरस्त किये जाने पर रेस्पोडेन्ट को कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट के द्वारा बहस में अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि खातेदार रामलाल पिता कालु जी, जाति कुम्हार निवासी मण्डियाना की दिनांक 04.09.2017 को मृत्यु हो जाने में उनके विधिक वारिसान विरासत से नामान्तरण खुलवाने हेतु खातेदार रामलाल के नाम दर्ज कृषि भूमिया जो राजस्व गॉव मण्डियाना में स्थित है। उक्त भूमियों को विरासत से अपने नाम दर्ज कराने हेतु पटवारी साहब को मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये जिस पर पटवारी हल्का मण्डियाना द्वारा विरासत से जरिये नामान्तरण संख्या 1114 खोला गया परन्तु खातेदार रामलाल का विरासत नहीं खोलकर अपीलार्थी रामचन्द्र का विरासत खोल दिया जबकि अपीलार्थी जीवित है तथा वर्तमान में भी जीवित

न्यायालय जिला कलक्टर

होकर उक्त कृषि भूमि का उपयोग, उपभोग कर रहा है परन्तु पटवारी हल्का द्वारा उक्त नामान्तरण रामलाल की बजाय रामचन्द्र का खोलकर तहसीलदार साहब नाथद्वारा से स्वीकृत करवा दिया जिससे अपीलार्थी अपने हक अधिकारों से वंचित हो गया जिससे दुखी एवं पीड़ित होकर अपीलार्थी की और से अपील प्रस्तुत की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरण आदेश न्याय एवं विधि के विरुद्ध होकर तथ्यों से सर्वथा परे हैं। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नाथद्वारा ने कानून के विपरीत जाकर ऐसा निर्णय पारित किया तथा ऐसा निर्णय पारित करके जिससे अपीलार्थी के हक एवं अधिकारों को ही समाप्त कर दिया तथा जो अधिनस्थ न्यायालय ने नामान्तरण संख्या 1114 स्वीकृत करने से पूर्व किसी प्रकार की वैधानिक प्रकिया नहीं अपनाई तथा पटवारी हल्का मण्डियाना द्वारा नामान्तरण भरकर पेश किया उस पर गौर न कर अपने मनमाफिक तरिके से नामान्तरणकरण स्वीकृत कर लिया जबकि न्यायालय द्वारा कानुनन मृत खातेदार रामलाल एवं रामचन्द्र दोनो अलग–अलग व्यक्ति है। दस्तावेजों का सही अवलोकन नहीं कर पटवारी हल्का द्वारा रामलाल की बजाय खातेदार रामचन्द्र का विरासत खोल दिया जो कानुनन अवैध एवं शुन्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 जो खातेदार रामलाल पिता कालु जी के विधिक वारिस है तथा खातेदार रामलाल का विरासत से खुलना चाहिये था परन्तु राजस्व कर्मचारियों की भुलवश खातेदार रामचन्द का विरासत खोल दिया जबकि कानुनन मृतक रामलाल का नामान्तरण पारित होना था परन्तु खातेदार रामलाल की मृत्यु के पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय ने खातेदार रामचन्द्र का नामानारण पारित किया। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेम्टगण एक ही परिवार के व्यक्ति है तथा रेस्पोडेन्टगण अपीलार्थी के बड़े भाई रामलाल के पुत्र व पुत्रीयां है। कानुनन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 को उक्त भुमि में कोई हक व अधिकार नहीं थे फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त नामान्तरणकरण स्वीकृत कर नामान्तरणकरण पारित कर दिया जो विधि के सर्वथा विपरीत होकर अपास्त योग्य है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नाथद्वारा के आदेश दिनांक 29.05.2018 के गांव मण्डियाना के नामान्तरण संख्या 1114 को निरस्त फरमाया जावे तथा उक्त कृषि भुमि अपीलार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने की आज्ञा प्रदान कराई जायें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 07 के द्वारा जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 को कोई उजर, आपत्ति नहीं है। गाँव मण्डियाना के नामान्तरण संख्या 1114 को निरस्त किये जाने पर रेस्पोडेन्ट को कोई आपत्ति नहीं है।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि पटवारी हल्का मण्डियाना के नामान्तरण संख्या 1114 को निरस्त किये जाने पर रेस्पोडेन्ट को कोई आपत्ति नहीं है। तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा पारित किया गया नामान्तरण आदेश को अपास्त किया जाता है तो उन्हे कोई आपति नहीं है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि तात्कालिक पटवारी द्वारा प्रकराणाधीन भूमियों के विधिक वारिसान की जांच किये बिना ही नामान्तरकरण की कार्यवाही कर तहसीलदार नाथद्वारा से आक्षेपित नामान्तरण स्वीकृत कराया गया। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये आक्षेपित नामान्तरण को निरस्त किया जाता हैं।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1114 दिनांक 29.05.2018 को अपास्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार, नाथद्वारा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता हैं कि मृतक रामलाल के समस्त विधिक वारिसान की पुनः जांच की जावे एवं नये सिरे से सभी वारिसान के नाम पर नियमानुसार नामान्तरकरण फैसल किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा रामचन्द्र की उक्त नामान्तरकरण से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 07 तक की कृषि भुमियों को अपीलार्थी रामचन्द्र के नाम राजस्व रेकर्ड में पुनः दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 08.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद